दिनांक 09.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 09/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम एवं पुलिस व्यवस्था के संबंध में दिये गये निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कोविड–19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये।

- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जिन–जिन जनपदों/कमिश्नरेट में कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन द्वारा रात्रि आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू की गयी है वहां शासन/प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराया जाये।
- कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत आगामी त्यौहारों एवं वर्तमान में प्रचलित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समस्त तैयारियॉ अपने पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित किया जाये।
- आगामी त्यौहारों/धार्मिक कार्यक्रमों के दृष्टिगत बाजारों, शापिंग मॉल्स, प्रमुख चौराहों एवं अन्य भीड़–भाड़ वाले स्थलों यथा रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, पार्कों, सिनेमा हॉल्स, स्कूल/कालेज आदि पर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुए व्यवहारिक रूप से प्रभावी चेकिंग कराई जाये ।
- आम नागरिकों को अनिवार्य रूप से विशेष तौर पर मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु शालीनता एवं सद्भावना पूर्वक प्रेरित किया जाय। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा जनता के साथ किसी

प्रकार का दुर्व्यवहार कदापि न किया जाय। सदैव सहयोगात्मक एवं मित्रता की भावना से जनता को प्रोत्साहित किया जाये।

- सभी महत्वपूर्ण चौराहों, भीड़—भाड़ वाले स्थानों पर पी0ए0सिस्टम व छोटे लाउड स्पीकर के माध्यम से तथा अन्य श्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए कोविड—19 की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाय। पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रत्येक चौराहे पर अवश्य क्रियाशील रहे। इस कार्य के कुशल पर्यवेक्षण हेतु जनपद /कमिश्नरेट के राजपत्रित अधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व सौंपा जाय।
- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन—2021 के दौरान कोविड—19 महामारी के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये बिन्दुओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- सामाजिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न प्रकार के आयोजनों तथा विवाह समारोह आदि में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उ0प्र0 शासन तथा इस मुख्यालय स्तर से निर्गत दिशा—निर्देशों एवं एस0ओ0पी0 में निर्धारित व्यवस्थानुसार सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। साथ ही कार्यक्रम से पूर्व आयोजकों से सम्बन्धित चौकी/थाना प्रभारी के माध्यम से समन्वय स्थापित कर उन्हें कोविड—19 के प्रोटोकॉल का सम्यक् अनुपालन अवश्य सुनिश्चित कराये जाने हेतु अवगत कराया जाये।
- सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं अन्य सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों के माध्यम से नागरिकों को कोविड—19 के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु अपील की जाये।
- विदेशों एवं अन्य प्रान्तों से आवागमन करने वाले व्यक्तियों के कोविड—19 की जॉच कराने हेतु जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विशेष रूप से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

इसके निमित्त निगरानी समितियों को सक्रिय करने व कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित कराया जाये।

- मास्क न धारण करने वाले व्यक्तियों पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाये।
- पंचायती चुनाव के दृष्टिगत सभी जनपदों/कमिश्नरेट में पुलिसजनों के लिए पी0पी0ई0 किट, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सेनेटाइजर सहित सभी आवश्यक लॉजिस्टक की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
- पुलिस परिसरों एवं भवनों में विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाये।
- कोविड–19 की रोकथाम हेतु विभिन्न एन0जी0ओ0 एवं सिविल डिफेन्स आदि का सहयोग किया जाये।
- कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से सुनिश्चित किया जाय। समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शत–प्रतिशत वैक्सीन लगवायी जाये।
- टीकाकरण केन्द्रों पर समुचित सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाये।

<u>जनपद बदायूँ/थाना उझानी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के सोने चॉदी के आभूषण,**
- **03 मोबाइल फोन, 1500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर ,जीवित व खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 09.04.2021 को थाना उझानी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुजरिया तिराहे से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त जगदीश उर्फ जुगनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने चाँदी के आभूषण(03 सोने के कंगन, 01 सोने का हार, 02 सोने का कुण्डल, 01 अंगूॅठी सोन की, 01 चॉदी का सिक्का, 02 पायल चॉदी,) 03 मोबाइल फोन, 1500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है,जिसके विरूद्ध जनपद बदायूं, मथुरा, बरेली, बुन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नौझील जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—28/2020 धारा 395 भादवि व मु0अ0सं0—29/2020 धारा 395 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोनल स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः—</u>

जगदीश उर्फ जुगनू निवासी करौली थाना तिगॉव जनपद फरीदाबाद, हालपता—सादातपुर गुजरान ट्रान्सफार्मर वाली गली थाना दयालपुर, पूर्वी दिल्ली।

<u>बरामदगीः—</u>

1—लूट के सोने चाँदी के आभूषण(03 सोने के कंगन, 01 सोने का हार, 02 सोने का कुण्डल, 01 अंगूँठी सोन की, 01 चॉदी का सिक्का, 02 पायल चॉदी,)

2—03 मोबाइल फोन,

3—1500 रूपये नगद,

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 02 लाख 45 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.04.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मऊखेडा फाटक के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1—विकास उर्फ विशाल, 2—अंकित, 3—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चाँदी के आभूषण (सोने की 06 चैन, 06 टप्स, 06 कुण्डल, 02 अंगूठी, 04 कंगन व चाँदी के 14 जोडी पाजेब, 02 कमर बन्द, 21 सिक्के, 01 ग्लास, 01 चम्मच, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 03 जोडी कंगन, 5 ठोस, 16 बिछुये, 04 लाकेट, 04 चैन, 01 हथफूल, 04 कडे, 11 छत्र) चोरी के 02 लाख 45 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद सोने, चाँदी के आभूषण व रूपया थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत कई चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास उर्फ विशाल निवासी बैरा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर, हालपता गली नं—3 ज्ञानलोक कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2—अंकित निवासी सैदपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
3—अभियुक्ता

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चाँदी के आभूषण (सोने की 06 चैन, 06 टप्स, 06 कुण्डल, 02 अंगूठी, 04 कंगन व चाँदी के 14 जोडी पाजेब, 02 कमर बन्द, 21 सिक्के, 01 ग्लास, 01 चम्मच, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 03 जोडी कंगन, 5 ठोस, 16 बिछुये, 04 लाकेट, 04 चैन, 01 हथफूल, 04 कडे, 11 छत्र)

2—चोरी के 02 लाख 45 हजार रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस।

4—01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली अयोध्या

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल, जीवित व खोखा कारतूस,**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 09.04.2021 को थाना कोतवाली अयोध्या व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अचारी सगरा से भरतकुण्ड मार्ग लठियहवां छोटी नहर के पास से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया

गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अखिलेश कुमार उर्फ देवी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, जीवित व खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अयोध्या, बिहार प्रान्त के विभिन्न थानो पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली अयोध्या पर पंजीकृत मु0अ0सं0—176/2021 धारा 302/120बी/34 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली अयोध्या पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

अखिलेश कुमार उर्फ देवी निवासी बाघी थाना मुफ्फसिल जनपद समस्तीपुर, बिहार।

बरामदगी—:

1—01 अवैध पिस्टल, जीवित व खोखा कारतूस।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**

दिनॉकः 09.04.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आचार्य नरेन्द्र देव रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लालबाबू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—862/2020 धारा 3(1) यू0पी0

गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

लालबाबू निवासी खेमपुर थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर हालपता–लोको रेलवे कालोनी बी–2 थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **18 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस,**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 08/09.04.2021 की रात्रि थाना हाथरस गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हाथरस गेट क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त सतीश चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

सतीशचन्द्र निवासी चौक मोहल्ला कस्बा व थाना पटियाली जनपद कांसगंज।

बरामदगीः–

1–18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय खोखा कारतूस,

2– अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,**
- **06 नाल विभिन्न बोर,**
- **अवैध शस़्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 09.04.2021 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुसद्दीलाल की बाग से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

वसीम निवासी इस्लामनगर थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।

बरामदगीः–

1–15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,

2–06 नाल विभिन्न बोर।

3– अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना राबर्टसगंज

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **10 किग्रा0 अवैध अफीम,**
- **08 हजार रूपये नगद,**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.04.2021 को थाना राबर्टसगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राबर्टगंज क्षेत्र से 02 मादक पदार्थ तस्कर 1–शौकत आलम 2–आबू को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 किग्रा0 अवैध अफीम, 08 हजार रूपये नगद, 01 चार पहिया वाहन वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना राबर्टसगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शौकत आलम निवासी बालूमाथ थाना बालूमाथ जनपद लातेहार, झारखण्ड।

2—आबू निवासी बालूमाथ थाना बालूमाथ जनपद लातेहार, झारखण्ड।

बरामदगी

1— 10 किग्रा0 अवैध अफीम,

2— 08 हजार रूपये नगद,

3—01 चार पहिया वाहन वाहन।

जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 24 हजार रूपये का अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग में विचारण के उपरान्त अन्तर्गत धारा 452/376/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एटी एक्ट में अभियुक्त नन्हें को आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 24 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ रूपये से अधिक कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी दुर्गेश आदि द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 03 करोड़ रूपये से अधिक को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

———————